



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229971
CG-DL-E-27092021-229971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3636]
No. 3636]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

का.आ. 3970(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3345(अ) तारीख 16.08.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में NH2 के कि.मी. 809.5 से कि.मी. 835 (चंदौली) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31.08.2021 " को " हिंदुस्तान" और "टाइम्स ऑफ इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में NH2 के कि.मी. 809.5 से कि.मी. 835 (चंदौली) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: चन्दौली					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चन्दौली				
	गांव का नाम: " दर्पिपुर"				
1	71	सरकारी	बंजर	0.053	चंदौली रेंज, ऑफिस बिल्डिंग फारेस्ट डिपार्टमेंट / बंजर चंदौली रेंज, कार्यालय भवन वन विभाग/ ()
	गांव का नाम: हिनौता उर्फ जगदीस सराय				
2	74	निजी	परती कदीम	0.064	(i) खखनु पिता बचन (ii) अनीता पति शशिकांत सिंह (iii) धर्म देव पिता सूर्य बलि (iv) सावित्री उपाध्याय पति स्वर्गीय प्रेम नारायण उपाध्याय, अभय नारायण उपाध्याय, अविनाश उपाध्याय पिता स्वर्गीय प्रेम नारायण (v) मनोरमा देवी पति संजय कुमार सिंह (vi) अजय कुमार उपाध्याय, प्रमोद कुमार उपाध्याय पिता बबन कुमार (vii) संतोष कुमार सिंह पिता राजेंद्र सिंह (viii) सोमारू पिता बचन (ix) दीपक तिवारी पिता नंदलाल तिवारी (x) धनंजय पाल पिता धर्मदेव पाल (xi) शिला राय पति अरुण कुमार राय, अरुण कुमार राय पिता सुरेंद्र राय (xii) शांति सिंह पति कमलाकर सिंह ()

3	75	निजी	कृषि	0.032	श्रीमती शिलादेवी पति रवींद्रनाथ सिंह वो रामकिशुन, सालिका पिता रामसरन ()
गांव का नाम: जेठमलपुर					
4	105	निजी	कृषि	0.012	(i) अब्दुल हमीद पिता मो हनीफ, (ii) अनाम अहमद उर्फ अनम अहमद, अजाज अहमद पिता मो असलम, एकनाम अहमद, एजाज अहमद पिता मो असलम ()
गांव का नाम: कल्यानपुर					
5	405	निजी	कृषि	0.016	(i) कोमल तिवारी पिता शंकर (ii) विकास तिवारी, नाबालिग उम्र १५ साल, सक्षम तिवारी, नाबालिग उम्र 9 वर्ष, पुत्र संतोष तिवारी, अभिभावक मां कंचन तिवारी पति संतोष तिवारी(iii) कमला, कृष्णकांत पिता शंकर, निर्मला देवी पति सियाराम(iv) रिकू कुमार गुप्ता, चिंदू, नाबालिग, उम्र 16 साल, मिटू माइनर, उम्र 14 साल पिता बिपिन साव, अभिभावक रिकू कुमार पिता बिपिन साव(v) रामजी चौहान, काशीनाथ चौहान(vi) जगतनारायण पिता ओमप्रकाश,(vii) आरती देवी पति सुरेश केशरी(viii) बंदना पति संतोष गोआड़(ix) जरीना परवीन के पति अख्तर आजाद(x) मीरा देवी पति दिनेश,(xi) शांतिदेवी पति रमेश केशरी ()
			कुल	0.177	

[फा. सं. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

S.O. 3970(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 3345(E) dated 16.08.2021**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH2 on the stretch of land from Km. 809.5 to Km. 835 (Chandauli) in the district of CHANDAUli in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Hindustan**” and “**Times of India**” both **dated 31.08.2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH2 in the stretch of land from Km. 809.5 to Km. 835 (Chandauli) in the district of CHANDAUli in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: CHANDAUli		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chandauli				
	Village: Darpipur				
1	71	Government	Banjar	0.053	Chandauli Range, Office Building Forest Department
	Village: Hinauta alias Jagdis Sarai				
2	74	Private	parti kadim	0.064	(i) Khkhanu S/o Bachan (ii) Anita W/o Shashikant Singh (iii) Dharam Dev S/o Surya Bali (iv) Savitri Upadhyay W/o late Prem Narayan Upadhyay, Abhay Narayan Upadhyay, Avinash Upadhyay S/o late Prem Narayan (v) Manorama Devi W/o Sanjay Kumar Singh, (vi) Ajay kumar Upadhyay, Pramod Kumar Upadhyay S/O Baban Kumar(vii) Santosh Kumar Singh S/o Rajendra Singh (viii)Somaru S/o Bachan (ix) Deepak Tiwari S/o Nandlal Tiwari (x) Dhananjay Pal S/o Dharamdev Pal (xi)Shila Rai W/o Arun Kumar Rai, Arun Kumar Rai S/o Surendra Rai (xii) Shanti Singh W/o Kamlakar Singh,
3	75	Private	Agriculture	0.032	Smt shiladevi w/o Ravindtanatha singh vo ramkishun , Salika s/o Ramsaran
	Village: Jethmalpur				
4	105	Private	Agriculture	0.012	(i) Abdul Hamid S/o Mo. Hanif, (ii) Anaam Ahmad alias Anam Ahmad ,

					Ajaj Ahmad S/o Mo. Aslam, Eknaam Ahmad, Aeja Ahmad S/o Mo. Aslam,
	Village: Kalyanpur				
5	405	Private	Agriculture	0.016	(i) Komal Tiwari S/o Shankar,(ii) Vikash Tiwari, Minor age 15 year , Saksham Tiwari, Minor Age 9 year, S/o Santosh Tiwari, Guardian mother Kanchan Tiwari W/o Santosh Tiwari, (iii) Kamla, Krishnakant S/o Shankar, Nirmala Devi W/o Siyaram(iv) Rinku Kumar Gupta, Chintu , Minor, age 16 year, Mintu Minor, age 14 year S/o Bipin Shaw, Guardian Rinku Kumar S/o Bipin Shaw, (v) Ramji Chauhan, Kashinath Chauhan(vi) Jagatnarayan S/o Omprakash (vii) Arti Devi W/o Suresh Keshari (viii) Bandana W/o Santosh Goad (ix) Jarina Parween W/o Akhtar Azad (x) Mira Devi W/o Dinesh (xi) Shantidevi W/o Ramesh Keshari
			TOTAL	0.177	

[F. No. 11012/Ph.V/NH-2/Varanasi-Aurangabad/LA/2009/3D2]

RAJESH GUPTA, Director